तापमान

भोपाल	26.0°	33.0°
इंदौर	24.0°	34.0°
जबलपुर	26.0°	34.0°
ग्वालियर	28.0°	36.0°
सागर	25.0°	33.0°

नईदुनिया

वर्ष- 80
(भोपालः वर्ष 41 अंक 227, पृष्ठ 12)
आषाढ़, शुक्ल द्वितीय संवत् 2083
गुरुवार, 16 जुलाई 2026
कीमतः 3:00 रुपये

www.naiduniaonline.com
भोपाल संस्करण
भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

राजधानी... आदर्श आंगनवाड़ी बच्चों के सर्वांगीण विकास ...

व्यापार... मोबाइल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ...

खेल... बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंम्पियनशिप अगले ...

खेल... फीफा विश्व कप 2026: स्पेन ने फ्रांस को हराकर...

अमेरिकी सीनेट में संशोधित विधेयक पेश, 5 देशों को बनाया निशाना

भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा सकता है अमेरिका

रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई की तैयारी

वाशिंगटन, एजेंसीः अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सीनेट में रूस पर प्रतिबंधों से संबंधित एक संशोधित विधेयक पेश किया गया है। इसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता है। यह विधेयक सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों के समर्थन से प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य रूस की तेल से होने वाली आय कम करना है, जिससे उसकी युद्ध क्षमता प्रभावित हो सके। विधेयक में रूस के अधिकारियों, छाया टैंकर बेड़े, केंद्रीय बैंक तथा सरकारी ऊर्जा परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव शामिल है। प्रारंभिक मसौदे में 500 प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव था, जिसे बाद में घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया।

मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को बनाया निशाना ईरान ने भी किया जवाबी कार्रवाई का दावा

अमेरिका ने ईरान पर सात घंटे बम बरसाए

तेल अवीव/तेहरान/वाशिंगटन, एजेंसीः अमेरिका ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन ईरान के कई ठिकानों पर व्यापक सैन्य कार्रवाई की। अमेरिकी केंद्रीय कमान के अनुसार, लगभग सात घंटे तक चले अभियान में होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास स्थित ईरान के मिसाइल और मानव रहित विमान ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों तथा तटीय रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया। इस दौरान दक्षिणी ईरान के तटीय शहर सीरिक सहित कई स्थानों पर हमले किए गए।

ईरान की जवाबी कार्रवाईः *दूसरी ओर, ईरान की इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड ने दावा किया कि उसने जवाबी अभियान शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। संगठन का कहना है कि बहरीन स्थित अमेरिकी पांचवें बेड़े के अड्डे और जॉर्डन के अजराक वायुसेना अड्डे को भी निशाना बनाया गया।*

समझौते के लिए दबावः *इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तेहरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो अगले सप्ताह बिजलीघरों और पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। वहीं, ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह अमेरिकी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अपनी रणनीति पर कायम रहेगा।*

परमाणु संयंत्र से जुड़ी गोपनीय फाइलें लीक!

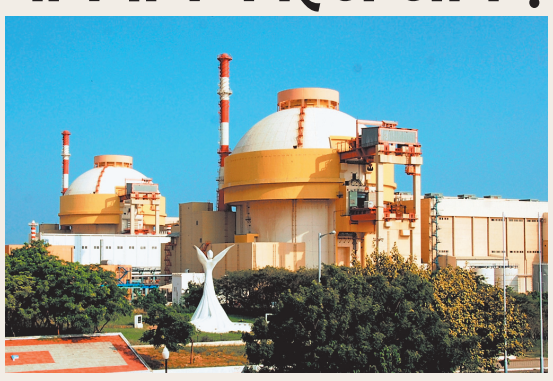

▸▸ **डार्क वेब पर संवेदनशील दस्तावेज साझा होने की खबर, जांच में जुटीं एजेंसियां**

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों में सेंधमारी का मामला सामने आया है। दावा किया गया है कि संयंत्र से संबंधित हजारों गोपनीय दस्तावेज डार्क वेब पर साझा कर दिए गए हैं। इस घटना के बाद देश की महत्वपूर्ण अवसंरचना की साइबर सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, एक साइबर अपराधी समूह ने संयंत्र से जुड़े दस्तावेजों का बड़ा संग्रह सार्वजनिक करने का दावा किया है। इनमें संयंत्र के कुछ हिस्सों के नक्शे, आपूर्तिकर्ताओं से जुड़ी जानकारी, निरीक्षण अभिलेख, बैठकों के विवरण तथा अन्य तकनीकी दस्तावेज शामिल बताए जा रहे हैं। दावा है कि कुल 19 हजार संवेदनशील फाइलें सार्वजनिक की गई हैं। हालांकि इन सभी दस्तावेजों की प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

मामले से जुड़े एक ठेका समूह ने स्वीकार किया है कि उसके आंकड़ों में आंशिक सेंधमारी हुई है। कंपनी के अनुसार, यह जानकारी एक बाहरी आंकड़ा केंद्र के सर्वर पर सुरक्षित थी और घटना की सूचना भारत सरकार को दे दी गई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तव में कौन-कौन सी जानकारियां प्रभावित हुई हैं।

सूत्रों के अनुसार, इस पूरे मामले की जांच भारतीय संगणक आपात प्रतिक्रिया दल कर रहा है। साथ ही परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी संबंधित संस्था भी घटना की जानकारी एकत्र कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संवेदनशील तकनीकी सूचनाएं वास्तव में सार्वजनिक हुई हैं तो इससे सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां घटना की वास्तविकता और उसके संभावित प्रभाव का आकलन कर रही हैं।

भारत-ब्रिटेन समझौते से आर्थिक संबंध होंगे मजबूत : प्रधानमंत्री

▸▸ **व्यापक आर्थिक एवं व्यापार तथा सामाजिक सुरक्षा समझौते को बताया महत्वपूर्ण उपलब्धि**

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा समझौते को दोनों देशों की साझेदारी में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि इन समझौतों से भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाएं लोगों के लिए ठोस अवसरों में परिवर्तित होंगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता भारतीय किसानों, उद्यमियों तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों को नई गति देगा। इससे अनेक क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। साथ ही प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत होगा तथा कुशल भारतीय प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय पेशेवरों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी सुदृढ़ बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच विश्वास, व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार पर आधारित प्रगतिशील साझेदारी के निर्माण के संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के उद्देश्य से आगे भी मिलकर कार्य करते रहेंगे।

जमीन विवाद में धीरेंद्र शास्त्री के भाई गिरफ्तार

नईदुनिया ब्यूरो, छतरपुरः बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिगराम गर्ग और उनके एक साथी को छतरपुर पुलिस ने जमीन विवाद में युवक को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें दो अब भी फरार हैं। घायल मोतीलाल कुशवाहा को गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे घर से बाहर खींचकर लाए, मारपीट की और शालिगराम गर्ग ने कई गोलियां चलाईं, जिनमें एक उसके सीने में लगी। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।

पूर्व उपप्रधानमंत्री, दो पूर्व मंत्रियों समेत 16 को जेल

▸▸ **फर्जी भूटानी शरणार्थी बताकर अमेरिका में पुनर्वास दिलाने की साजिश**

काठमांडू, एजेंसीः नेपाल की काठमांडू जिला अदालत ने फर्जी भूटानी शरणार्थी प्रकरण में दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों सहित 16 लोगों को दोषी ठहराते हुए कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पूर्व उपप्रधानमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री टोप बहादुर रायमाझी को चार वर्ष तथा पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खांड को दो वर्ष के कारावास की सजा दी है। दोनों पर नेपाली नागरिकों को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भूटानी शरणार्थी बताकर अमेरिका में पुनर्वास दिलाने की साजिश रचने का आरोप था।

रायमाझी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि खांड जमानत पर रिहा हैं। दोनों पहले अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार कर चुके हैं। उनके अधिवक्ताओं ने निर्णय के विरुद्ध उच्च अदालत में अपील करने की बात कही है। अदालत ने गृह मंत्रालय के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी और एक पूर्व भूटानी शरणार्थी नेता सहित 14 अन्य लोगों को भी दोषी ठहराते हुए चार वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाई है। यह प्रकरण वर्ष 2023 में सामने आया था।

नेपाल में 1990 के दशक की शुरुआत से नेपाली मूल के लगभग एक लाख 20 हजार लोग भूटान से विस्थापित होकर पहुंचे थे।

चार मंजिला भवन में आग दो लोगों की जलकर मौत

नईदुनिया ब्यूरो, नोएडाः नोएडा के सेक्टर-66 स्थित ममूरा क्षेत्र में बुधवार सुबह चार मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से दो लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि एक बच्चा और एक युवती गंभीर रूप से झुलस गए। प्रारंभिक जांच में बेसमेंट में विद्युत स्कूटर चार्ज करते समय हुए विस्फोट को आग लगने का कारण बताया गया है। आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई। अग्निशमन दल ने सीढ़ियों के सहारे लगभग 50 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। संकरी गलियों के कारण राहत कार्य प्रभावित रहा। पुलिस ने भवन स्वामी को हिरासत में ले लिया है।

समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ रही सरकार : मुख्यमंत्री

▸▸ **पूर्व न्यायाधीश की समिति से सुझाव लेकर कानून बनाने की तैयारी**

नईदुनिया ब्यूरो, इंदौरः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को इंदौर में 300 बिस्तरीय नए जिला चिकित्सालय के लोकार्पण के अवसर पर समान नागरिक संहिता को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार एक समान कानून लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यदि रामचंद्र एक विवाह करता है तो रहीम से भी एक ही विवाह की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भी सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक देश में अलग-अलग कानून नहीं होने चाहिए। उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान' के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धारा 370 हटाकर उस संकल्प को आगे बढ़ाया और अब मध्य प्रदेश भी उसी भावना के साथ समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने इस विषय पर सीधे कानून बनाने के बजाय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की। समिति ने प्रदेश के सभी 55 जिलों और 10 संभागों में जाकर लोगों से संवाद किया तथा सुझाव लिए। इन सुझावों के संकलन के बाद अब विधानसभा में विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 83.16 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित चार मंजिला 300 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय का लोकार्पण भी किया। हालांकि पहले चरण में केवल 34 बिस्तरों वाली प्रसूति इकाई प्रारंभ की जाएगी। शेष 266 बिस्तरों सहित औषधि, शल्य चिकित्सा, अस्थि रोग तथा अन्य प्रमुख विभाग बाद में शुरू होंगे। अस्पताल के संचालन के लिए 166 अधिकारी और कर्मचारियों की पदस्थापना की गई है।

डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को लेकर छात्रों की नाराजगी पर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इस व्यवस्था से छोटे-छोटे बच्चों में निराशा दिखाई दे रही है। न्यायालय ने कहा कि उसका उद्देश्य सरकार से टकराव नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार है। न्यायालय ने बोर्ड से अब तक उठाए गए सुधारात्मक कदमों की जानकारी मांगी तथा केंद्र सरकार से सहयोग करने को कहा। केंद्र ने बताया कि शिकायतों की समीक्षा के लिए एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया है।

लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस लिया

▸▸ **मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा विभाग, अब केवल आनंद विभाग की जिम्मेदारी**

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल से पशुपालन एवं डेयरी विभाग वापस ले लिया गया है। अब यह विभाग मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास रहेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद लखन पटेल के पास केवल आनंद विभाग की जिम्मेदारी रह गई है।

मुख्यमंत्री के पास अब सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय तथा पशुपालन एवं डेयरी सहित कुल 11 विभाग हो गए हैं। अधिसूचना में वन विभाग का उल्लेख नहीं किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, स्वावलंबी गोशालाओं के लिए भूमि आवंटन के मामले में सरकार को कई शिकायतें मिली थीं। बताया गया है कि चयनित कुछ संस्थाओं को लेकर सरकार संतुष्ट नहीं थी, जबकि विभागीय स्तर पर उन्हें कार्य देने की तैयारी की जा रही थी। यह मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचने के बाद यह निर्णय लिया गया।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले मंत्री नागर सिंह चौहान से भी वन एवं पर्यावरण विभाग वापस लिया जा चुका है। अब लखन पटेल मध्य प्रदेश के पहले ऐसे मंत्री होंगे, जिनके पास केवल आनंद विभाग की जिम्मेदारी रहेगी।

गंभीर नाराजगी *उच्चतम न्यायालय ने जताई नाराजगी, कहा- न्यायाधीश संवेदनशीलता और विधिक दिशा-निर्देशों का करें पालन*

रेप के प्रयास पर पटना उच्च न्यायालय के फैसले से उठा विवाद

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले को लेकर उच्चतम न्यायालय ने गंभीर नाराजगी व्यक्त की है। मामला बांका जिले के वर्ष 2008 के एक प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें उच्च न्यायालय ने आरोपी को बलात्कार के प्रयास के आरोप से बरी कर दिया था। इस फैसले का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में उठाए जाने पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि न्यायाधीशों को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता के साथ पर्याप्त विधिक अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस निर्णय की विस्तृत समीक्षा कर विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।

यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ के समक्ष आया। सुनवाई के दौरान यौन अपराधों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति दी गई। साथ ही देश की सभी अदालतों को इन दिशा-निर्देशों में प्रयुक्त भाषा और अभिव्यक्तियों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया।

प्रकरण के अनुसार, 20 जनवरी 2008 को बांका जिले के अमरपुर स्थित एक छायाचित्र केंद्र के संचालक के विरुद्ध बलात्कार के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने युवती को अंदर ले जाकर कमरे का दरवाजा बंद किया, उसके साथ जबरन छेड़छाड़ की, उसकी सलवार उतारने का प्रयास किया और उसकी छाती दबाई। युवती के शोर मचाने पर उसके पिता पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गया।

वर्ष 2013 में निचली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में पटना उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए आरोपी को बरी कर दिया कि मामले में चिकित्सकीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं तथा बलात्कार के प्रयास को सिद्ध करने वाले स्पष्ट प्रमाण भी अभिलेख पर नहीं हैं। अदालत ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों से भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत अपराध बनता है, लेकिन बलात्कार के प्रयास का अपराध सिद्ध नहीं होता।